# सरकारी परियोजनाओं में अब स्विस चैलेंज सिस्टम

## राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना, 50 करोड़ से अधिक लागत के प्रोजेक्ट्स पर होगा लागू

**जयपुर @ पत्रिका**

patrika.com/city

प्रदेश में विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए अब पीपीपी के साथ स्विस चैलेंज सिस्टम भी लागू किया जाएगा। इसके लिए पचास करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजना के लिए इच्छुक फर्म सरकार को प्रस्ताव दे सकेगी और इस प्रस्ताव को खुली बोली के जरिए कोई तीसरा पक्ष चुनौती दे सकेगा।

सरकारी पखियोजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता के साथ अधिकाधिक निजी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की जा रही इस प्रणाली के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत राजस्थान ट्रांसपरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट नियमों में संशोधन किया गया है।

पीपीपी के तहत लागू होने वाली परियोजनाओं में सरकार निजी फर्मों को आमंत्रित करती थी, लेकिन स्विस चैलेंज सिस्टम के तहत इच्छुक निजी कंपनियां सरकार को अपनी ओर से अधिसूचना में समाहित क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव देगी। यह प्रणाली पचास करोड़ रुपए से कम लागत वाली परियोजनाओं पर लागू नहीं होगी। सरकार को प्राप्त होने वाले परियोजनाओं के प्रस्तावों पर फैसला मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। यह कमेटी नई प्रणाली के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मोनिटरिंग भी करेगी।

### ऐसा है स्विस चैलेंज सिस्टम

**इस** सिस्टम के तहत निजी फर्म किसी परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित विभाग को देगी। इसके बाद रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद उस काम को करवाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। यदि तीसरी फर्म मूल प्रस्तावक फर्म से कम लागत में काम करने का प्रस्ताव देती है तो उसे मानने से पहले मूल फर्म से पूछा जाएगा। यदि मूल फर्म वह काम निविदा में आई सबसे कम लागत पर करने को तैयार होगी तो वह काम मूल फर्म को ही दिया जाएगा। यदि मूल फर्म कम कीमत पर काम करने को तैयार नहीं हो तो न्यूनतम बोलीदाता फर्म को काम दिया जाएगा।

### इन क्षेत्रों में होगा लागू

स्विस चैलेंज सिस्टम कृषि विकास, परिवहन क्षेत्र के ढांचागत विकास, कोल्ड स्टोर, कंटेनर डिपो, कंटेनर स्टेशन, बहुमंजिला पार्किंग, शहरी और नगरपालिका क्षेत्र में साफ-सफाई, जल निकासी, कचरा परिवहन, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विकास, गैस वितरण, आवासन क्षेत्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक विकास, सिंचाई, भूमि सुधार, सार्वजनिक खेल और मनोरंजन के क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र में लागू किया जाएगा।